dk;ky; lpkyd] jkT; ou vul/kku lLFkku
पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)
दूरभाष : 0761–2665540, फैक्स : 0761–2661304
email: mpsfri@mp.gov.in, mpsfri@gmail.com Website : www.mpsfri.org

NIT No/SFRI/Store/ 2298 Jabalpur, Dated 24/08 /2022

NOTICE INVITING TENDER

ई–निविदा Website : https:mptenders.gov.in

वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु

संस्थान वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु ई–निविदा https:mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र https:mptenders.gov.in वेबसाईट पर दिनांक 25/08/2022 से उपलब्ध होगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा आमन्य रहेंगी। ई–निविदा हेतु विवरण निम्नानुसार है :–

SCHEDULE TO TENDER

S.No.	Activity Description	Schedule
1	Tender Fee in Rs.	3000/-
2	EMD in Rs.	10000/-
3	Date of Advertisment	25/08/2022
4	Published Date	25/08/2022 12:00 PM
5	Document Dowanlod/Sale Start Date	25/08/2022 12.00 PM
6	Pre Bid Meeting	29/08/2022 4.00 PM
7	Document Sale End Date	05/09/2022 6.00 PM
8	Bid Submission Start Date	25/08/2022 12.00 PM
9	Bid Submission End Date	05/09/2022 6.00 PM
10	Bid Opening Date	07/09/2022 12.00 PM
11	Validity of tender offer	180 days from the date of Opening
12	Duration of contract	One Year from the date of award of contract. However, the same may be further extended up to one more year on the same terms& conditions.

कृपया निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढकर भरें।

lpkyd
राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

dk;ky; lapkyd] jkT; ou vuqla/kku laLFkku

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

fufonk i=i= Hkjus ,oa iLrqr djus ds lac/k esa funs'k

(1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की ट्रैवल्स एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।

(2) संचालक को किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(3) निविदाकार द्वारा कम से कम 01 वर्ष में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।

(4) सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में करारनामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। यह अनुबंध निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित प्रदाय दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु बाध्य होंगे।

(5) निविदाकार निविदा निम्नानुसार ऑनलाईन जमा करेंगे।

Envelope A &

Qualifying bid (The list of the documents to be uploaded)

1. Bidder's Profile **(As in Annexure I)** Filled and Uploaded
2. Declaration Regarding black Listing/ Non black Listing from Taking part in Govt **(Annexure II)**
3. Self-Attested copy of Registration of firm/company.
4. Self-Attested Copy of Registration Certificate of vehicle.
5. Self-Attested copy of PAN card of firm/company
6. Self-Attested Copy of GST Certificate of firm/Company
7. Self-Attested copy of document showing current insurance of the vehicle.
8. Self-Attested Copy of terms and Condition of tender. **(Annexure -III)**
9. Self Attested Copy of EMD Details.
10. Self Attested Copy of List of Vehicles**. (Annexure -IV)**
11. Self-Attested copy of Tender Agreement form **(Annexure -V)**
12. Self-Attested copy of Kararnama **(Annexure -VI)**
13. Self-Attested copy of One Year experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of Vehicles Services to Central/State Government/ Public Sector companies for one year.

S.No	Details of client along with address, Telephone and E-Mail.	One Year Experience certificate for the period	
		From	To
1			
2			

14. निविदाकार के द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर हेतु वाहन की दर प्रस्तुत की जा रही है, उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दर्शित करें।

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन मालिक का नाम (यदि साझा फर्म है तो पार्टनरशिप डीड संलग्न करें)	वाहन का मेक वर्ष	वाहन का मॉडल / वर्ष	वाहन का पजीयन क्र.
1	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर(म.प्र.)				

Envelope B & **(i) BOQ**&निविदाकार द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्रस्तावित दरें ।

(6) (i) सर्वप्रथम Envelope A निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा एवं संलग्न अभिलेखों का मूल्यांकन किया जावेगा। यदि Envelope A में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति में Envelope B नहीं खोला जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपयुक्त पाये निविदाकारों के Envelope B (BOQ) खोला जावेगा।

(ii) प्राप्त निविदाओं में से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी। फिर भी निविदा को मान्य / अमान्य करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त शर्तों से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

(7) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद / विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा। उपरोक्त निविदा शर्तें मुझे मान्य हैं।

दिनांक :

स्थान :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम : ....

पूरा पता :...

....

....

फोन नं. ....

ekfld fdjk;s ij fy;s tkus okys okgu gsrq fufonkdkj dk ?kks"k.kk i=

,rn~ }kjk eSa ——————————————————————————————

(निविदाकार का नाम) पुत्र ——————————————————————————————

आयु ———————— वर्ष —————————— निवासी ——————————————

okgu dk jftLVsª'ku Øekad %&

जबलपुर ....

यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उस कार्य से संबंधित सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई है। सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

दिनांक ———————

fufonkdkj ds gLrk{kj ---

नाम एवं पता ---

फोन नं. लैंडलाईन --

मोबाईल नं. ---

okgu ekfld fdjk;s ij ysus gsrq vuqca/k ¼djkjukek½

-- ¼izFke i{k½ o dk;kZy; lapkyd] jkT; ou vuqla/kku laLFkku] tcyiqj ¼f}rh; i{k½A

1. वाहन चालक प्रथम पक्ष का रहेगा जिसके पास नियमानुसार फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे ।
2. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा ।
3. वाहन के स्वामित्य आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।
5. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के वाहन के उपयोग में न्यूनतम दूरी का बंधन नहीं रहेगा।
6. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा द्वितीय पक्ष के संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा।
7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री, अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन खराब होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के ठीक होने का 2 घंटे तक इंतजार किया जायेगा, इससे अधिक समय लगने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं दूसरे वाहन को किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी।
9. अनुबंध समाप्ति हेतु किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना दी जायेगी।
10. माह में दो बार वाहन रख–रखाव हेतु प्रथम पक्ष को सौंपा जा सकेगा।
11. वाहनों की संख्या में बजट की उपलब्धता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है।
12. वाहन किराया माह की समाप्ति के पश्चात् अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर भुगतान किया जा सकेगा।
13. वाहन चालक 24 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इस हेतु चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक के अवकाश पर होने की स्थिति में दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
14. किराये के जो वाहन होंगे परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
15. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।
16. वाहन की लॉगबुक के प्रमाणिकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
17. प्रथम पक्ष की सेवायें संतोषजनक होने पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
18. वाहन की दुर्घटना तोडफोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।
19. समय पर वाहन न उपलब्ध होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।
20. किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटौती तथा वाहन सेवा निरस्त करने का समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा।

21. चालक समय का पाबंद रहेगा। ड्यूटी के दौरान मदिरा का सेवन नहीं करेगा। वाहन चालक व्यवहारकुशल रहेगा।

22. सभी प्रकार के टैक्स, मोटर यान कर, बीमा आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।

23. वाहन का औसत कम से कम 10 कि.मी. प्रति लीटर होना आवश्यक है, इससे कम औसत का वाहन स्वीकार नही किया जावेगा।

¼iFke i{k½
वाहन मालिक
फोन नं. लैंडलाईन
मोबाईल नं.

lpkyd
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)
(द्वितीय पक्ष)

Annexure -III

dk;kZy; lapkyd] jkT; ou vuqla/kku laLFkku] tcyiqj ¼ ,d o"kZ grq½ okgu ekfld fdjk;s ij ysus grq fu;e ,oa 'krsZ

dk;kZy; lapkyd jkT; ou vuqla/kku laLFkku] tcyiqj grq fdjk;s dh fy;s fu;e @'krsZ fuEukuqlkj jgsxh %&

<u>fu;e@'krsZ</u>

1. निविदा मे प्रस्तावित वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना आवश्यक है।
2. वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकार, जिसे आगे प्रथम पक्ष लिखा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक के पास फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा। वाहन से संबंधित समस्त कर के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. वाहन के स्वामित्य आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
5. प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
6. वाहन डीजल वाहन होना चाहिए, जिसका eksMy 2019 से वर्तमान तक मान्य होगा।
7. किराये के वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन के व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाण पत्र प्राप्त करने व रोड टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन की बैटरी अच्छी हालत में एवं माईलोमीटर सदैव चालू हालत में होना अनिवार्य है।
9. डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर जिसे आगे द्वितीय पक्ष लिखा जावेगा द्वारा वहन किया जावेगा।
10. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जावेगा।
11. वाहनों की संख्या में बजट की उपलब्धता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है।
12. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर–ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
13. किराये पर लिए गए वाहन की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन कार्य से पृथक करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
14. वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति, कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
15. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
16. किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
17. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।

18. ;g fufonk nj: Lohd'fr fnukd l: ,d o"k d: fy;: ekU; gkxh] सफल निविदाकार एवं संस्थान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये अवधि बढ़ाई जा सकती है।

19. निविदा निर्धारित प्रपत्रों में ही भरी जावेगी।

20. lQy fufonkdkj dk /kjkgj jkf'k **(Performance Security)** :-50]000@& dk cd Mk¶V@cd dl pd lpkyd] jkT; ou vuql/kku lLFkku] tcyij d: uke l: n; djkjuke: d: lkFk tek djuk gkxk] ftle: ifrHkfr jkf'k lek;kftr dj yh tkoxhA

21. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबन्ध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

22. अनुबन्ध अवधि में यदि निविदाकार वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य स्त्रोत से वाहन किराये पर लेता है तो अन्तर की राशि निविदाकार के अरनेस्ट मनी से वसूली योग्य होगी।

23. वाहन मालिक/ड्राईवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रतिदिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित अधिकारी को वाहन छोड़ने के पूर्व सौंपनी होगी। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार चलाई जावेगी।

24. okgu pkyd 24 ?kV: d: fy;: dk;l ij miyC/k gkxk। इसकी व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

25. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।

26. वाहन की दुर्घटना तोडफोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।

27. निविदाकार द्वारा एक दूरभाष लैण्ड लाइन एवं मोबाइल नम्बर निविदा में लेख किया जावेगा जिससे सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके।

28. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चालन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नहीं होगा। वाहन की खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में द्वितीय पक्ष यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी से वसूल होगी।

29. समय पर वाहन न उपलब्ध होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।

30. वाहन चालक को समय का पाबंद होना चाहिए। वाहन चालन के दौरान शराब का सेवन चालक द्वारा नहीं किया जावेगा। चालक को व्यवहार कुशल होना चाहिए।

31. प्रवास के दौरान वाहन में यात्रा संबंधित कोई असुविधा होने पर मालिक अपनी व्यवस्था से गंतव्य स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुॅचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा ।

32. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। वाहन से दुर्घटना मे पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदात्वि प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।

33. वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा । वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।

34. वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति का PAN एवं GST देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है।

35. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

36. निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।

37. बिना कोई कारण दर्शाये निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

lpkyd
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)

Annexure -IV

ekfld fdjk;s ij fy;s tkus okys okguksa dh lwph

vuq-	ekfld fdjk;s ij fy;s tkus okys okguksa dk fooj.k	;wfuV
1	टोयोटा ईनोवा वाहन – ए.सी महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन – ए.सी. महिन्द्रा एक्सयूवी 700 – ए.सी.	Each
2	महिन्द्रा बुलेरो वाहन – ए.सी. महिन्द्रा टीयूवी 300 – ए.सी.	Each

uksV %& वाहन का औसत कम से de 10 fd-eh- ifr लीटर होना आवश्यक है, इससे कम औसत का वाहन स्वीकार नही किया जावेगा।

¼Annexure -VI½

TENDERER'S AGREEMENT FORM

(ENVELOPE- A)

NIT No/SFRI/Store/2298 **Jabalpur, Dated 24/08/2022**

1. I/We ……………………..…………………..... hereby declare that I/We have read and understood all the terms and conditions of the NIT /SFRI/_______ dated _______ and agree to abide by the same .

2. I/We enclose herewith the details of

   1. Bidder's Profile **(As in Annexure I)** Filled and Uploaded
   2. Declaration Regarding black Listing/ Non black Listing from Taking part in Govt **(Annexure II)**
   3. Self-Attested copy of Registration of firm/company.
   4. Self-Attested Copy of Registration Certificate of vehicle.
   5. Self-Attested copy of PAN card of firm/company
   6. Self-Attested Copy of GST Certificate of firm/Company
   7. Self-Attested copy of document showing current insurance of the vehicle.
   8. Self-Attested Copy of terms and Condition of tender. **(Annexure -III)**
   9. Self Attested Copy of EMD Details.
   10. Self Attested Copy of List of Vehicles**. (Annexure -IV)**
   11. Self-Attested copy of Tender Agreement form **(Annexure -V)**
   12. Self-Attested copy of Kararnama **(Annexure -VI)**
   13. Self-Attested copy of One Year Eperience Certificate/ certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of Vehicles Services to Central/State Government/ Public Sector companies for one year.

3. In the event of my/our failure to abide by the conditions of this agreement and all the terms and conditions of the tender notice. I/We……………………….………… shall be liable to pay such penalty, as may be levied under the terms and conditions of the tender notice.

Date ……………..

Signature ……………………………….

Full Name of the Tenderer………………

Complete Address………………………..…

Telephone No.……………………….………

Mobile No.…………………….…………

email:……………………..……………..

ANNEXURE-I

BIDDER'S PROFILE		
1	Name of Tendering Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration)	
2	Full Address of Reg. Office with Telephone No., & E-Mail	
3	Name of proprietor / Director of Company/Firm/agency	
4	PAN No (Attach Self Attested copy)	
5	GST Registration No. (Attach Self Attested copy)	
6	Details Of EMD (Rs. 10,000) (Attach Self Attested copy)	

7. Self-Attested copy of One Year experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of Vehicles Services to Central/State Government/ Public Sector companies for one year.

SN	Details of client along with address, telephone and E-Mail.	One Year Experience certificate for the period	
		From	To
1			
2			

Name: Signature of authorized person
Date: Seal:
Place:

ANNEXURE-II

DECLARATION

DECLARATION REGARDING BLACK LISTING / NON-BLACK LISTING FROM TAKING PART IN GOVT.TENDER BY DOT/GOVT. DEPT

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.--

--- hereby declare that the firm/company namely

M/S. -- has not been blacklisted

or debarred in the past by any Government organization from taking part in Government tenders.

Or

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.--

- ---hereby declare that the firm/company namely

M/S. -- was blacklisted or debarred

by any Government Department from taking part in Government tenders for a period of ----------years w.e.f.-----------------The period is over on -------------and now the firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/ contract will be rejected/cancelled by Director, SFRI and EMD/SD shall be forfeited.

Signature --------------------------------

Date: **Seal of the firm should be**

Name **--------------------------------** **Affixed.**

CHECK LIST FOR BIDDER

S.No	Documents				Upload status
1	Cost of Tender documents Rs. 3000	DD No.	Amt.	Date	
2	EMD Rs. 10,000/-	DD No.	Amt.	Date	
3	Bidder's Profile **(As in Annexure I)** Filled and Uploaded				
4	Declaration Regarding black Listing/ Non black Listing from Taking part in Govt **(Annexure II)**				
5	Self-Attested copy of Registration of firm/company.				
6	Self-Attested Copy of Registration Certificate of vehicle.				
7	Self-Attested copy of PAN card of firm/company				
8	Self-Attested Copy of GST Certificate of firm/Company				
9	Self-Attested copy of document showing current insurance of the vehicle.				
10	Self-Attested Copy of terms and Condition of tender. **(Annexure -III)**				
11	Self Attested Copy of EMD Details.				
12	Self Attested Copy of List of Vehicles**. (Annexure -IV)**				
13	Self-Attested copy of Tender Agreement form **(Annexure -V)**				
14	Self-Attested copy of Kararnama **(Annexure -VI)**				
15	Self-Attested copy of One Year experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of Vehicles Services to Central/State Government/ Public Sector companies for one year.				